न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 153 / 2022

GCMS NO. 2022/418

1. प्रवीण मानिकटाला पुत्र हरिकिशन मानिकटाला जाति मानिकटाला निवासी सी–1 / 97 जनकपुरी, जनकपुरी बी–1, साउथ वेस्ट दिल्ली–110058
2. राजवीर पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी डब्लू.जेड 28 डाबडी नई दिल्ली।

..................वादीगण

– बनाम –

1. गोकलराम पुत्र भाताराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम ताल तहसील खेतड़ी।
2. घीसाराम पुत्र मांगुराम जाति गूर्जर निवासी कोल्याली तन् कालोटा।
3. मालाराम पुत्र मेघाराम जाति गूर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 **(मृतक)**
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेतड़ी।

.... प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज सिंह	अभिभाषक	वादीगण
2. श्री मनीराम सिराधना	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 1

–: निर्णय :– **दिनांक :– 28.10.2024**

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 30.04.2024 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम **ताल** पटवार हल्का रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 75 के हाल खसरा नम्बर 1057 रकबा 7.97 हेक्टेयर में **केवल** वादीगण के **संयुक्त** 110 / 1593+550 / 1593= 220 / 531 हिस्से की भूमि का मौके पर 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करते हुये मौका कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष पक्षकारान का खाता **संयुक्त** रखा जावे। तहसील[illegible]0आ0) खेतड़ी को 2000 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया [illegible] के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी [illegible] 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज–6 / [illegible]1 पार्ट / 91 जयपुर दिनांक 30–09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म. / न्याय / स्था. / प–15 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र इस न्यायालय में भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध प्रस्तावित किया जावे।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2024/2388 दिनांक 11.07.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 1 का दिनांक 28.10.2024 को इस आशय का आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि पटवार हल्का ने वादीगण से मिलकर उसके बताये अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है जो कतई गलत तैयार किया गया है। पटवार हल्का ने मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया है। इसलिये पटवार हल्का द्वारा बनाया गया विभाजन प्रस्ताव को निरस्त किया जाकर दुबारा विभाजन प्रस्ताव बनवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पटवार हल्का द्वारा बनाया गया विभाजन प्रस्ताव को निरस्त किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव बनवाया जाने की कृपा करें।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2024 का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन करवाया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2024 का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार बबाई के द्वारा पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.8 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30–09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 में भी यही आदेश दिया गया था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 28.10.2024 को पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का पर लगाया गया आरोप साबित नहीं होता है। इसलिये राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार बबाई द्वारा दिनांक 10.07.2024 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में न्यायालय हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार बबाई द्वारा दिनांक 10.07.2024 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2024 पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.07.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.07.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी (RAS)

1. प्रवीण मानिकटाला पुत्र हरिकिशन मानिकटाला जाति मानिकटाला निवासी सी–1/97 जनकपुरी, जनकपुरी बी–1, साउथ वेस्ट दिल्ली–110058
2. राजवीर पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी डब्लू.जेड 28 डाबड़ी नई दिल्ली।

..................वादीगण

— बनाम —

1. गोकलराम पुत्र भाताराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम ताल तहसील खेतड़ी।
2. घीसाराम पुत्र मांगुराम जाति गूर्जर निवासी कोल्यालीतन कालोटा।
3. मालाराम पुत्र मेघाराम जाति गूर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0 **(मृतक)**
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेतड़ी

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा, 53 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर :– 153/2022

GCMS NO. 2022/418

निर्णय दिनांक :– 28.10.2024

वादीगण की ओर से **श्री हेमराज सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से **श्री मनीराम सिराधना एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **28.10.2024** को **बन्शी धर योगी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.07.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **28.10.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी